न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट(तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 31/2020
3. उनवान : सरकार जरिये जगदीश प्रसाद शर्मा प्रवर्तन अधिकारी (विधि), जयपुर।

बनाम

1. मैसर्स भगवती ट्रैडर्स, मिनर्वा सिनेमा के सामने आगरा रोड, जयपुर।
2. श्री गोल्डी अरोडा पुत्र श्री प्रेमप्रकाश, निवासी 278, गुरुनानकपुरा राजापार्क, जयपुर थाना आदर्श नगर।

4. निर्णय दिनांक : 04.07.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री के.डी. शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी (विधि), जयपुर श्री जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। रिव्यू प्रार्थना पत्र के साथ प्रकरण में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित किया गया निर्णय दिनांक 29.1.2009, जिसके अनुसार फर्म के जब्तशुदा केरोसीन तेल या अंतरिम निस्तारण से प्राप्त राशि को अप्रार्थीगण को लौटाने के आदेश दिये गये है, पेश कर रिव्यू प्रार्थना पत्र में कथन किया कि पत्रावली में शामिल विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट दिनांक 8.7.2005, 6ए प्रार्थना पत्र, फर्द मौका जांच दिनांक 6.10.2004, फर्द जब्ती दिनांक 6.10.2004 एवं थानाधिकारी आदर्शनगर जयपुर की अभियोजन संस्थित होने से सम्बन्धित रिपोर्ट के तथ्यों के अनुसार जब्तशुदा माल को रिलीज करने से सम्बन्धित उक्त निर्णय दिनांक 29.1.2009 में त्रुटि है। पूर्व में प्रकरण में अप्रार्थी मैसर्स भगवती ट्रैडर्स पर दिनांक 6.10.2004 को जब्ती की कार्यवाही कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 860 लीटर नीला केरोसीन मय 6 ड्रम जब्त किया गया था। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त केरोसीन के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये थे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया था।

रिव्यू प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 31.03.2009 को अधिवक्ता श्री के.डी.शर्मा ने वकालतनामा पेश किया और दिनांक 21.05.2012 व 13.07.2015 को अप्रार्थी की ओर से आपत्ति/जवाब पेश किया। अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 4.7.2022 को आदेश हेतु रखी गई। हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अवलोकन में पाया गया कि प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज होने से माननीय न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 11, जयपुर महानगर, जयपुर के प्रकरण संख्या 1595/2016 निर्णय दिनांक 02.04.2018 द्वारा अप्रार्थी गोल्डी अरोडा पुत्र प्रेमप्रकाश अरोडा को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। माननीय न्यायालय का उक्त आदेश फौजदारी कार्यवाही के अन्तर्गत दर्ज मामले में अप्रार्थी संख्या 2 के विषय में पारित किया गया है। किन्तु जब्त वस्तुओं के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिए हैं। ऐसी स्थिति में हम हस्तगत प्रकरण में जब्त वस्तुओं बाबत पृथक से निर्णय पारित करना उचित पाते हैं।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अप्रार्थीगण द्वारा जब्त वस्तुओं के वैध संग्रहण बाबत कोई वैधानिक दस्तावेज, साक्ष्य पेश नहीं किया है और यहां तक कि अपने पक्ष को रखने हेतु न्यायालय में अब सम्यक रुप से हाजिर भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जब्त वस्तुओं की वैधानिकता बाबत कोई दस्तावेज साक्ष्य, प्रमाण नहीं होने की स्थिति में जब्त वस्तुओं को अवैध मानते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
6-ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर पूर्वोक्त निर्णयानुसार दिनांक
06.10.2004 को जब्तशुदा सामान जिसमें 860 लीटर नीला केरोसीन मय 6 ड्रम
शामिल है, को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं तथा जिला रसद अधिकारी
जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं को नियमानुसार निस्तारण कर
राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज दिनांक को
04.07.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज
नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर
जयपुर।